राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :प 11(8)नविवि/ 2020 — जयपुर, दिनांक

<u>आदेश</u>

जयपुर मास्टर प्लान–2011 के अनुसार ईकोलॉजिकल क्षेत्र में विद्यमान राजस्व ग्रामों व आबादी हेतु जनोपयोगी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से ईकोलॉजिकल भू–उपयोग में Rural Settlement के अन्तर्गत राजकीय जनोपयोगी सुविधाओं यथा शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य जनोपयोगी गतिविधियों को निम्न मानदण्डों की पालना पर अनुमत किया जाता हैः–

1.	अधिकतम भू–आच्छादन–	20 प्रतिशत
2.	अधिकत ऊँचाई–	जी+2
3.	वृक्षारोपण–	20 प्रतिशत आच्छादन के अतिरिक्त 80 प्रतिशत खुले क्षेत्र में से 50 प्रतिशत (कुल भूमि का 40 प्रतिशत) सघन वृक्षारोपण हेतु।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. उप सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय, नविवि।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. अन्य संबंधित ....।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.01.13 23:06:29 IST
Reason: Approved

प्रमुख शासन सचिव

RajKaj Ref No.: 12776482